न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 31 / 2023 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. जोधाराम पुत्र मूलाराम 2. भोमाराम पुत्र मूलाराम 3. आसूराम पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी मीठीयावास, होडू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1. लक्षमणाराम पुत्र नंदराम का.मु. 1/1केसाराम पुत्र लक्षमणाराम 1/2 वगताराम पुत्र लक्षमणाराम 1/3पेमीदेवी पत्नी लक्षमणाराम 2. विरधा पुत्र उदा 3. शेरा पुत्र नंदराम का.मु. 3/1मेहराराम पुत्र शेराराम 3/2रूपादेवी पत्नी शेराराम 4. डमाराम पुत्र नंदराम का.मु. 4/1वेहनाराम पुत्र उमाराम 4/2मोटाराम पुत्र उमाराम जातियान जाट निवासी मीठीयावास, होडू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 5. श्रीमान तहसीलदार सिणधरी

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 35/2022 बअनवान लक्षमणाराम के कायम मुकाम वगैरा बनाम जोधाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 09.02.2023 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री अर्जुनराम बोसिया अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री जोगराज पोटलिया रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—18.02.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 से 04 ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1683 रकबा 5.9300 हैक्टयर मौजा मीठीयावास पटवार

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी में अवस्थित है। जिससे लगता हुआ विप्रार्थीगण का खातेदारी खेत खसरा संख्या 1682 मौजा मिठीयावास मे अवस्थित है। इसी रास्ते से होकर हमारे खेत तक आ जा सकते है जिसका उपयोग कई वर्षों से लगातार रास्ते के रूप में लेते आ रहे हैं। उपरोक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण द्वारा जहां से रास्ते की मांग की गई वहां पर अपीलांटस का पक्का मकान बना हुआ है। हल्का पटवारी व आर आई द्वारा विकल्प में निकटतम रास्ता खसरा संख्या 1795/1792 में से रकबा 0.0243 हैक्टयर भूमि संलग्न नक्शे में बरंग हरा प्रस्तावित की गई जो उक्त भूमि मौके पर खाली है किसी प्रकार का निर्माण नहीं है। उक्त मौका रिपोर्ट तहसील सिणधरी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई जो मौका रिपोर्ट सही व निष्पक्ष बनाई गई थी जिस अनुसार ही खसरा संख्या 1795/1792 निकाला जाना सही व विधि सम्मत था क्योंकि खसरा संख्या 1795/1792 के खातेदारान उतरदाता संख्या 01 से 04 के चाचाई भाई भी है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम में उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में बताये रास्ते के विकल्प प्रस्तावित रास्ते से कही अधिक दूरी के है। इसलिए रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में मजमे आम में बाद सुनवाई पश्चात पारित किया गया। उसके उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु किसी भी प्रकार के प्रदत्त रास्ते से निकटतम वैकल्पिक रास्ता का विकल्प नहीं बताया गया। अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा उक्त खसरे तक पहुचने हेतु कोई निकटतम विकल्प नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में आपति की है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका नहीं देखा गया जबकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के लौट में ऐसे न्यायिक दृष्टांत है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि भू अभिलेख निरीक्षक रैंक के कर्मचारी द्वारा रास्ते के मामले में मौका देखा जाना न्यायसंगत है इसलिए अपीलांट की उक्त आपति में कोई सार नहीं है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया हैं जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत हैं। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 35/2022 बअनवान लक्षमणाराम के कायम मुकाम वगैरा बनाम जोधाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 09.02.2023 को यथावत रखा जाता है।

18/2/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 18.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/2/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर